रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 669] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 16, 2008/वैशाख 26, 1930
No. 669] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 16, 2008/VAISAKHA 26, 1930

जल संसाधन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2008

का.आ. 1164(अ).—अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 4 के अधीन अधिसूचना सं. का.आ. 437(अ) द्वारा तारीख 2 जून, 1990 को कावेरी जल विवाद अधिकरण का गठन अंतर्राज्यिक कावेरी नदी और उसकी नदी घाटी से संबंधित जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए किया गया था।

और उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन कावेरी जल विवाद अधिकरण से उसकी रिपोर्ट और विनिश्चय को 5 अगस्त, 2005 को या उससे पूर्व प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी;

और केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना सं. का.आ. 980(अ), तारीख 12 जुलाई, 2005 द्वारा, रिपोर्ट और विनिश्चय की प्रस्तुति की अवधि को, 6 अगस्त, 2005 से एक वर्ष की एक और अवधि के लिए बढ़ाया था;

और केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना सं. का.आ. 1399(अ), तारीख 4 सितम्बर, 2006 द्वारा, रिपोर्ट और विनिश्चय की प्रस्तुति की अवधि को, 6 अगस्त, 2006 से छ: मास की एक और अवधि के लिए बढ़ाया था;

और अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन कावेरी जल विवाद अधिकरण ने रिपोर्ट और विनिश्चय को 5 फरवरी, 2007 को प्रस्तुत किया था;

और उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) के उपबंधों के अधीन पक्ष राज्य और केन्द्रीय सरकार ने कावेरी जल विवाद अधिकरण के सामने 27 अप्रैल, 2007, 30 अप्रैल, 2007 और 3 मई, 2007 को और निर्देश दिए और अधिकरण को 3 मई, 2007 से एक वर्ष की अवधि के अन्दर एक और रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है;

और कावेरी जल विवाद अधिकरण ने रिपोर्ट की प्रस्तुति की अवधि को बढ़ाने का अनुरोध किया है।

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कावेरी जल विवाद अधिकरण द्वारा रिपोर्ट की प्रस्तुति की अवधि को तारीख 3 मई, 2008 से छ: मास की एक और अवधि के लिए बढ़ाती है।

[फा. सं. 1/1/2005-बीएम]

इन्द्र राज, आयुक्त (परियोजना)

MINISTRY OF WATER RESOURCES

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2008

S.O. 1164(E).—Whereas, the Cauvery Water Disputes Tribunal was constituted on 2nd June, 1990 *vide* notification number S.O. 437(E) under Section 4 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956) for the adjudication of the water disput s regarding Inter-State river cauvery and river valley thereof;

And whereas the Cauvery Water Disputes Tribunal was required to submit its report and decision under sub-section (2) of Section 5 of the said Act on or before 5th August, 2005;

And whereas the Central Government, *vide* notification number S.O. 980(E), dated the 12th July, 2005 had extended the period of submission of report and decision for a further period of one year with effect from 6th August, 2005;

And whereas the Central Government *vide* notification number S.O. 1399(E), dated 4th September, 2006 extended the period of submission of report and decision for a further period of six months with effect from 6th August, 2006;

And whereas Cauvery Water Disputes Tribunal submitted its report and decision under sub-section (2) of Section 5 of Inter-State River Water Disputes Act, 1956 on 5th February, 2007;

And whereas the party States and Central Government made further reference to the Cauvery Water Disputes Tribunal under proviso to sub-section (3) of Section 5 of the said Act, on 27th April, 2007, 30th April, 2007 and 3rd May, 2007 and the Tribunal has to submit a further report within one year from 3rd May, 2007;

And whereas Cauvery Water Disputes Tribunal has requested to extend the period of submission of report;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by proviso to sub-section (3) of Section 5 of the said Act, the Central Government hereby extends the period of submission of report by the Cauvery Water Disputes Tribunal for a further period of six months with effect from 3rd May, 2008.

[F. No. 1/1/2005-BM]

INDRA RAJ, Commissioner (Projects)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.